

## कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 8626 / राजस्व / भोविप्रा / 24

भोपाल, दिनांक 05/02/25

नियत दर प्रकोष्ठ का विक्रय हेतु.....

### ऑनलाईन आमंत्रण


भोपाल विकास प्राधिकरण के शहीद भगत सिंह योजना में प्रकोष्ठों का विक्रय निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन वेबसाईट <https://vikaspradhian.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दि० 7/2/25 से दि० 20/2/25 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्रकोष्ठों का आवंटन सुनिश्चित किया जावेगा।

निम्न सम्पत्ति का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट [www.BDA.org.in](http://www.BDA.org.in) पर देखा जा सकता है।

| क्र० | योजना का नाम        | प्रकोष्ठ/ईकाईयों का विवरण तथा संख्या | प्रति प्रकोष्ठ का अनुमानित कॉरपेट क्षेत्रफल | आरक्षण का वर्ग | प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत रूपये प्रति प्रकोष्ठ अनुमानित | लीज पर | रजिस्ट्रीकरण प्रभार पंजीयन राशि | वार्षिक पट्टा भाडा-भू-भाटक रूपये |
|------|---------------------|--------------------------------------|---|----------------|--|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1    | शहीद भगत सिंह योजना | 1बीएचके कुल 13 प्रकोष्ठ              | 35.72 वर्ग मी०                              | अनारक्षित      | 5,50,000/-   | लीज    | 55,000/-                        | 139/-                            |
|      |                     | 2बीएचके कुल 113 प्रकोष्ठ             | 50.96 वर्ग मी०                              | अनारक्षित      | 10,00,000/-  | लीज    | 1,00,000/-                      | 198/-                            |

आवंटन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी:-

- 1-प्रकोष्ठ का आवंटन यथा स्थिति में किया जावेगा।
- 2-स्वीकृति उपरांत जारी आवंटन पत्र में वर्णित नियम-शर्तें मान्य होगी।
- 3-प्रकोष्ठों का स्थल पर निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- 4-प्रकोष्ठों के विक्रय पश्चात किसी प्रकार का विकास का कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 5-किसी भी प्रकार का वाद / विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय भोविप्रा भोपाल का निर्णय मान्य होगा।
- 6-प्रकोष्ठ के आवेदन एवं आवंटन पत्र में नियम एवं शर्तें संलग्न रहेगी, आवेदन में उल्लेखित शर्तों का आवेदक को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7-समिति शुल्क एवं सेवा प्रभार तथा व्ययन नियम 2018 के अनुसार देय होगी।
- 8-प्रकोष्ठों की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी।
- 9-शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं / आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

  
 सम्पदा अधिकारी,  
 भोपाल विकास प्राधिकरण,  
 भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

1-श्री रवि सिंह आई०टी० (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो०-87702343380